न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 509/2025

बैंक ऑफ बडौदा, मौहल्ला मुगलान शाखा, झुंझुनूं, राजस्थान, पिन कोड 333019

–– प्रार्थी

बनाम

श्री नितेश कुमार पुत्र श्री शिव कुमार, वार्ड नं0 11, हवाई पट्टी, नेशनल स्कूल के पास, हवाई पट्टी सर्किल, झुंझुनूं जिला झुंझुनूं पिन कोड 333001

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात ''एक्ट'' से संबोधित किया गया है ऋणियों/जमानतियों से बंधक संपति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

––

उपस्थितः–
एडवोकट श्री मनोज कुमार वर्मा– प्रार्थी बैंक की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 08.12.2025

प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ऋणी को बडौदा ऑटो लोन खाता सं0 16870600017239 मे रूपये 6,80,000/– की ऋण सुविधा दिनांक 16.07.2019 को उपलब्ध कराई थी व अप्रार्थी ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के ऐवज मे अन्य सम्पत्तियों के साथ श्री नितेश कुमार पुत्र श्री शिव कुमार के कार लोन खाता सं0 16870600017239 मे मारूति बलेनो डेल्टा पेट्रोल, रजिस्ट्रेशन नम्बर आर0जे0 18सीसी 9466, इंजिन नं0 के12एमएन4591292, चेचिस नं0 एमबीएचईडब्ल्यूबी22एसकेई302545 को प्रार्थी के हक मे दृष्टिबंधक किया था व दृष्टिविलेख बंधक विलेख निष्पादित किया था। अप्रार्थी/ऋणी ने उपलब्ध ऋण को बैंक के नियमानुसार नही चुकाया जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 19.05.2022 को एन0पी0ए0 घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ ऋणी के ऋण खाते मे रूपये 11,64,909.35 दिनांक 18.05.2025 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया निकलते है। उक्त ऋण खाता दिनांक 19.05.2022 को एन0पी0ए0 घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी (अप्रार्थी) सह ऋणी एवं जमानती को दिनांक 03.06.2025 को नोटिस दिये गये। परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात् भी आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई व न ही बंधकशुदा सम्पत्ति का सम्पूर्ण भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणियों को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि रूपये 11,64,909.35 दिनांक 18.05.2022 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे से जमा कराना था परन्तु ऋणी एवं जमानती ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नही कराई के कारण एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कब्जे व नीलामी की कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। बैंक सिक्योरिटीज का विवरणः–
श्री नितेश कुमार पुत्र श्री शिव कुमार के कार लोन खाता सं0 16870600017239 मे मारूति बलेनो डेल्टा पेट्रोल, रजिस्ट्रेशन नम्बर आर0जे0 18सीसी 9466, इंजिन नं0 के12एमएन4591292, चेचिस नं0 एमबीएचईडब्ल्यूबी22एसकेई302545
अतः प्रार्थी बैंक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर, प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 मे वर्णित सम्पत्ति करा कब्जा व संबंधित डॉक्यूमेन्ट्स का कब्जा प्रार्थी बैंक को सुपुर्द करवाने, कब्जा कायम रखने के लिए एवं प्रतिभूत आस्तियों के सुचारू रूप से विकय एवं अन्तरण (निलामी) हेतु पर्याप्त बल उपलब्ध करवाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

जिला कलक्टर झुंझुनूं

हमने प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

पत्रावली में शमिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई बंधक अचल श्री नितेश कुमार पुत्र श्री शिव कुमार के कार लोन खाता सं0 16870600017239 मे मारूति बलेनो डेल्टा पेट्रोल, रजिस्ट्रेशन नम्बर आर0जे0 18सीसी 9466, इंजिन नं0 के12एमएन4591292, चेचिस नं0 एमबीएचईडब्ल्यूबी22एसकेई302545 है का पजेशन प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 08.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं